राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद,
सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।

"गुरू वशिष्ठ पुरस्कार के नियम एवं मापदण्ड"
(खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रस्तावित नियम)

1. **प्रस्तावना :–**

इस नियम को खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदत "गुरू वशिष्ठ पुरस्कार के नियम एवं मापदण्ड" कहा जायेगा।

2. **उदेश्य :–**

इन पुरस्कारों का उदेश्य खेल और खेलों के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट उपलब्धियों प्राप्त करने वाले खिलाडियों के प्रशिक्षकों को बढावा देना तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है।

3.परिभाषाऐं :–

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

अ, "नियम" से आशय खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदत "गुरू वशिष्ठ पुरस्कार" के नियम।
ब, "समिति" से आशय नियमों के अन्तर्गत गठित चयन समिति।
स, "पुरस्कार" से आशय "गुरू वशिष्ठ पुरस्कार
द, "अध्यक्ष" से आशय नियमों के अन्तर्गत गठित चयन समिति के अध्यक्ष।
य, "परिषद" से आशय राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर
ल, **"गुरू वशिष्ठ पुरस्कार** से आशय वह व्यक्ति जो परिषद द्वारा **"गुरू वशिष्ठ पुरस्कार** से सम्मानित किया गया हो।

4. **पात्रता :–**

4.1 परिषद के ऐसे प्रशिक्षक जिन्होने NSNIS डिप्लोमा किया हो तथा इनके उत्कृष्ट कार्य को परिषद द्वारा सराहना की गई हो। इसके अलावा ऐसे प्रशिक्षक जिन्होने अन्य प्रकार से अंशकालीन व पूर्णकालीन प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट खिलाडी तैयार किये हो। ऐसे प्रशिक्षक को जिनके खिलाडियों ने वर्तमान वर्ष व विगत **चार वर्षो** में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है को यह सम्मान दिया जाएगा।

4.2 इस पुरस्कार हेतु प्रशिक्षकों द्वारा तैयार खिलाडियों ने निम्नलिखित श्रेणी के तहत प्रदर्शन किया हो :–

- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक विजेता
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी एवं

5. **नामांकन :–**

5.1 प्रतिवर्ष परिषद से मान्यता प्राप्त अथवा **भारतीय खेल संघो** के सम्बद्व राज्य स्तरीय खेल संघो, राज्स्थान ओलम्पिक संघ अथवा जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र से अप्रेल माह में पुरस्कारों के लिए अपने अपने खेल में परिषद द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जायेगें। इन आवेदनों के जमा करने की अतिम तिथि 30 अपेल या अप्रेल माह का आखरी कार्य दिवस होगा। ये संस्थाएं अधिकतम 2 योग्य प्रशिक्षकों के आवेदन दे सकती है। 2 से अधिक प्रशिक्षकों के आवेदन मान्य नही होगें अथवा प्रथम 2 प्रशिक्षको के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा।

5.2 संबंधित संस्थाऐं सभी आवेदन एक साथ और नियमों में उपरोक्त निर्धारित संख्या में ही भेजेगें। 2 से अधिक प्रशिक्षकों के आवेदन पर प्रथम 2 प्रशिक्षकों के आवेदन पर ही विचार किया जायेगा।

5.3 संस्थाओं से 2 से अधिक प्रशिक्षकों के आवेदन प्राप्त होने पर भी अगर कोई योग्य आवेदन आये, तो परिषद अपने सुरक्षित अधिकार के तहत विचार कर सकती है।

5.4 नामांकन भेजने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निम्नानुसार होगें :–

(i) राजस्थान ओलम्पिक संघ– अध्यक्ष/महासचिव।
(ii) राज्य खेल संघ– अध्यक्ष/महा सचिव/अवैतनिक।
(iii) जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र– खेल अधिकारी /प्रभारी
(iv) खेल रत्न अवार्डी
(v) अर्जुन अवार्डी
(vi) द्रोणाचार्य पुरस्कृत प्रशिक्षक
(vii) महाराणा प्रताप पुरस्कृत खिलाड़ी
(viii) गुरू वशिष्ठ पुरस्कृत प्रशिक्षक

5.5 उपरोक्त वर्णित बिन्दु 5.4 के पदाधिकारी के अलावा नांमाकन किये हुये अन्य किसी भी आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

5.6 यह पुरस्कार उसी कलेण्डर वर्ष के लिए दिये जायेगे जिस वर्ष के लिए यह आमत्रित किये गये है।

5.7 पिछले **4 वर्षो** के अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खिलाडी का प्रदर्शन पर प्रशिक्षक परिषद द्वारा जारी निर्धारित प्रोफार्मा में ही आवेदन/नामांकन कर भेजा जायेगा।

5.8 आवेदन भेजने वाली सस्थाओं को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि नामांकन करने वाले प्रशिक्षकों अनुशासित है अथवा किसी भी आपराधिक और नैतिक प्रकृति के कृत्यों में शामिल नही है। अगर कोई प्रशिक्षक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या किसी निजी संस्था में कार्यरत है तो आवेदन भेजने वाली संस्था इन सभी से यह प्रमाणित करवा ले कि नामाकन करने वाले प्रशिक्षक अनुशासित है अथवा किसी भी आपराधिक और नैतिक प्रकृति के कृत्यों में शामिल नही है। यदि आवेदन करने वाले प्रशिक्षक के खिलाफ नियुक्ता द्वारा कोई आरोप पत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। तो उससे संबंधित पूर्ण की गई/लम्बित कार्यवाही का विवरण भी नियुक्ता से प्राप्त किया जाये।

5.9 खेल संघों के अलावा प्राप्त आवेदनों को संबंधित महासंघ/भारतीय ओलम्पिक संघ को भेजकर सत्यापन करेगें कि आवेदन करने वाले प्रशिक्षकों व प्रशिक्षणार्थी की उपलब्धियों का पूर्ण विवरण अथवा प्रशिक्षक व उसके प्रशिक्षणार्थी के खिलाफ कोई जांच तो नही चल रही है। जैसे कि चेतावनी, दण्डित उम्र धोखाधडी, डोपिंग, यौन उत्पीडन आदि।

5.10 **एक खिलाडी द्वारा पुरस्कार हेतु एक प्रशिक्षक की ही अभिशंषा की जा सकती है। खिलाडी द्वारा एक से अधिक प्रशिक्षक की अभिशंषा करने पर दोनों प्रशिक्षकों के आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा। जिस खिलाड़ी द्वारा एक प्रशिक्षक का नाम अभिशंषित कर दिया गया एवं भविष्य में पुनः कभी किसी अन्य प्रशिक्षक को अभिशंषित नहीं कर सकेगा। खिलाड़ी द्वारा अभिशंषा हेतु राशि रू. 100/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाप पेपर पर शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।**

6. **नामांकन की पावती एवं रसीद :–**

6.1 नामांकन के लिए आवेदन केवल सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद को संबोधित किया जाना चाहिए तथा परिषद कार्यालय में प्राप्त होने की तारीख ही परिषद द्वारा नामांकन की प्राप्ति की तारीख होगी।

6.2 प्राप्त आवेदनों पर विधिवत मुहर लगाकर एक रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा तथा निर्धारित तिथि को प्राप्त आवेदनों की जानकारी संबंधित संस्था को दी जावेगी।

7. **नामांकनों की प्रारम्भिक जांच :–**

बिन्दु 5.1 में वर्णित संस्थाओं के द्वारा प्राप्त आवेदनों को परिषद की प्रशिक्षण शाखा में भेजा जाएगा। यहा पर कार्यालय दस्तावेजों में आवेदकों की उपलब्धियों व प्रदर्शन की जांच कर सूची तैयार कर प्रस्तुत की जाएगी।

8. **जांच समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच**

सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद और परिषद के संबंधित खेल अधिकारी/खेल प्रबंधक को मिलाकर एक जांच समिति गठित की जाएगी। यह जांच समिति राज्य खेल संघों और जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रो से प्राप्त आवेदनो की प्रारभिंक जांच करेगी जिसमें सतर्कता, अनुशासन, डोपिंग, प्रमाण पत्रों का प्रमाणिकरण तथा निर्धारित मापदण्ड अनुसार सही पाये गये आवेदनों को चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

9 **चयन प्रक्रिया :–**

9.1 राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद द्वारा पुरस्कार हेतु निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जाएगा :–

1	माननीय मंत्री महोदय, युवा मामले एवं खेल विभाग	अध्यक्ष,
2	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग	सदस्य
3	**अर्जुन अवार्डी**	सदस्य
4	**द्रोणाचार्य अवार्डी**	सदस्य
5	सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर।	सदस्य सचिव

9.2 चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा जहा आवश्यक हो संबंधित विशिष्ट खेल विषयों के विशेषज्ञों से सलाह ले सकते है।

9.3 सीधे या परोक्ष रूप से पुरस्कार के लिए नामित प्रशिक्षक से संबंधित कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षक के विषय में चयन समिति की बैठक में व विचार–विमर्श में भाग लेने के लिए पात्र नही होगें।

9.4 समिति अपनी स्वयं के काम की प्रक्रिया निर्धारित करेगी तथा परिषद द्वारा तैयार किए गए दिशा–निर्देश/मापदण्ड प्रस्तुत करेगी यदि कोई हो।

9.5 समिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष तथा समिति के सदस्यों का 75 प्रतिशत होगा।

9.6 समिति द्वारा यदि समिति की बैठक के विचार विमर्श के समय जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करने आवश्यकता पडने पर खेल अधिकारी उपस्थित रहेगें।

9.7 सभी चयन की प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी। अध्यक्ष, समिति द्वारा किए गए विचार विमर्श तथा चयन के सख्त गोपनीयता बनाए रखने के लिए सचिव से परामर्श आवश्यक कदम उठा सकता है।

10 गुरू वशिष्ठ पुरस्कार की संख्या :–

10.1 गुरू वशिष्ठ पुरस्कार की एक वित्तीय वर्ष में निम्नानुसार संख्या निर्धारित की जाती है:–

- **कुल प्रशिक्षक – 5**
- **सामान्य खेल से संबंधित प्रशिक्षक – 3**
- **पैरा/डेफ/डम/ब्लाईण्ड खेल से संबंधित प्रशिक्षक – 2**

पैरा/डेफ/डम/ब्लाईण्ड नही हो, तो सामान्य खेल से संबंधित प्रशिक्षक को चुना जा सकता हैं।

11. सामान्य नियम :–

11.1 गुरू वशिष्ठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रशिक्षकों को परिषद द्वारा निश्चित व घोषित तारीख को प्रशस्ती पत्र, ब्लेजर, टाई, **कांस्य प्रतिमा** व **5,00,000/–** रू नकद भेट किया जावेगा साथ ही आने जाने का प्रथम श्रेणी का रेल किराया/बस किराया व स्थायी कन्वेन्स चार्जेज के लिए नकद देय होगे। पुरस्कार विजेता प्रशिक्षक राजस्थान खेल जगत में विशिष्ठ व्यक्ति के रूप में सम्मान प्राप्त करेगें।

11.2 किसी भी प्रशिक्षक को गुरू वशिष्ठ पुरस्कार दो बार नही दिया जाएगा।

11.3 प्रशिक्षक को मरणोंपरान्त भी यह पुरस्कार दिया जा सकता है।

11.4 परिषद पुरस्कार विजेताओं के नामों को अतिम रूप देने से पहले प्रशिक्षकों का चरित्र सत्यापन अपने केन्द्रो के खेल अधिकारी/प्रभारी के मार्फत करवाएगा। जरूरत पडने पर स्थानीय पुलिस विभाग से सहयोग प्राप्त करेगें।

11.5 पुरस्कार वितरण समारोह के समय पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रशिक्षक स्वयं उपस्थित रहेगा, उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को यह पुरस्कार व पुरस्कार राशि नही दिया जाएगा। जो पुरस्कृत व्यक्ति किसी कारणवश पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित नही हो पाएगा वो बाद में यह पुरस्कार अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद जयपुर से प्राप्त कर सकता है।

11.6 परिषद द्वारा पुरस्कार दिये जाने के बाद उसे रदद करने को भी पूरा अधिकार होगा। ऐसी दशा मे पुरस्कृत प्रशिक्षक को कास्य प्रतिमा, प्रशस्ती पत्र व पुरस्कार की राशि वापस जमा करानी होगी।

11.7 इन नियमों में संशोधन, परिवर्तन आदि के लिए परिषद स्वतंत्र है तथा इसके खिलाफ कही भी अपील नही की जा सकती है।

11.8 जिस प्रशिक्षक का नाम पुरस्कार के लिए प्रेषित किया जाता है। समझा जाता है कि उसे गुरू वशिष्ठ पुरस्कार के नियम मान्य है।

11.9 किसी भी प्रकार की सिफारिश पुरस्कार के लिए अयोग्यता मानी जायेगी।

11.10 माननीय मंत्री महोदय युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा विशेष परिस्थितियों में इन नियमों में शिथिलता प्रदान करने का अधिकार होगा जिसके लिए स्पष्ट कारण अभिलेखित करना होगा।

11.11 पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षक को नाम, महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र में भरकर जमा कराना होगा। प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता के कारण अगर प्रशिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने में विफल होता है तो उसके लिए परिषद जिम्मेदार नही होगी।

11.12 **प्रशिक्षक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।**

11.13 यह पुरस्कार प्रत्येक खेल में या प्रत्येक वर्ष हेतु दिया जाना आवश्यक नही है।

11.14 नेशनल गेम्स के वही पदक विजेता खिलाडी के लिए प्रशिक्षक पात्र होगें जिन्होने किसी अन्य राज्य की ओर से प्रतियोगिताओं में भाग नही लिया हो,

11.15 ऐसे प्रशिक्षक पात्र नही होगें, जिन्हे किसी अन्य राज्य द्वारा समतुल्य (Equivalent) पुरस्कार दिया गया हो या उसे किसी अन्य राज्य द्वारा उस राज्य का निवासी मानते हुए किसी प्रकार से पुरस्कार किया गया हो।

12. **प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला गुरू वशिष्ठ पुरस्कार के लिए उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त खिलाडियों के मापदण्ड**

12.1 **अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी** (IOC) से मान्यता प्राप्त **अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की महत्ता/भारिता (Weightage) निम्न क्रमानुसार होगी :**

I. ओलम्पिक खेल (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन/पैरा ओलम्पिक्स)

II. **चार वर्षीय वर्ल्ड कप एवं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिसका आयोजन अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमेटी (IOC) से मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा किया गया हो।**

III. एशियन गेम्स– **ओलम्पिक कांउसिल ऑफ एशिया (OCA) से मान्यता प्राप्त हो।**

IV. कॉमनवेल्थ गेम्स–**राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ(CGF) से मान्यता प्राप्त हो।**

V. **वार्षिक व द्वैवार्षिक (Annual/Biennial) वर्ल्ड चैम्पियनशिप जिसका आयोजन (IOC) से मान्यता प्राप्त संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय खेल फेडरेशन द्वारा किया गया हो।**

VI. **एशियन चैम्पियनशिप/एशिया कप जिसका आयोजन ओलम्पिक कांउसिल ऑफ एशिया (OCA) से मान्यता प्राप्त एशियाई खेल महासंघ द्वारा किया गया हो।**

VII. **कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जिसका आयोजन राष्ट्रमण्डल खेल महासंघ (CGF) से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा किया गया हो।**

VIII. साउथ एशियन गेम्स–जिसका आयोजन **साउथ एशिया ओलम्पिक काउंसिल (SAOC) द्वारा किया गया हो।**

IX. साउथ एशियन चैम्पियनशिप जिसका आयोजन साउथ एशिया ओलम्पिक काउंसिल (SAOC) से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा किया गया हो।

X. नेशनल गेम्स–जिसका आयोजन **भारतीय ओलम्पिक संघ (IOA) से द्वारा किया गया हो।**

12.2 खेलों के चयन हेतु दो कैटेगरी निम्नानुसार होगी

अ. कैटेगरी में भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेल शामिल होगे।

ब. कैटेगरी में जो खेल भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त नही है परन्तु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, वह खेल शामिल होगे।

12.3 गुरू वशिष्ठ पुरस्कार के लिए प्रति खिलाडी प्रतिभागिता पर दिये जाने वाले निर्धारित अंक

नोट

क्र. सं.	स्पर्द्धा	पदक/अंक			
		स्वर्ण	रजत	कांस्य	प्रतिभागी
1	ओलम्पिक	100	90	80	70
2	वर्ल्डकप/चैम्पियनशिप (4 वर्ष)	90	80	70	60
3	एशियन गेम्स	80	70	60	50
4	कॉमनवेल्थ गेम्स	70	60	50	40
5	**वर्ल्ड चैम्पियनशिप (1 व 2 वर्ष)**	**60**	**50**	**40**	**30**
6	एशियन चैम्पियनशिप/एशिया कप	60	50	40	30
7	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप	60	50	40	30
8	**साउथ एशियन गेम्स**	**40**	**30**	**20**	**10**
9	**साउथ एशियन चैम्पियनशिप**	**30**	**20**	**10**	**05**
10	**नेशनल गेम्स**	**25**	**15**	**05**	–

नोटः–'B' कैटेगरी वाले खेलों को उपरोक्त सारणी में से 50 प्रतिशत अंक देय होंगे।

12.4 बिन्दू 1, 3, 4 एवं 6–ओलम्पिक खेल, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप उपरोक्त प्रतियोगिताओं में पदक विजेता एवं भागीदारी को पुरस्कार में वरीयता दी जाएगी।

12.5 उक्त सूची के समतुल्य कोई प्रतियोगिता है तो चयन समिति निर्णय लेकर उपरोक्त सूची के कॉलम 10 में अंकित प्रतियोगिताओं के अनुसार अंक दे सकती है।

12.6 चयन समिति द्वारा दिये गये अंकों में 10% अंक प्रशिक्षक की योग्यता व प्रतियोगिता के स्तर जिसमें उसने पदक प्राप्त किया हो तथा उसका खेल प्रदर्शन, अनुशासन, खेल भावना, नेतत्व गुण व मानवता के गुण विद्यमान हो को अनुशंषा कर देय होगा।

12.7 ओलम्पिक/एशियन गेम्स/राष्ट्रमण्डल खेलों में जिसमें क्रिकेट और स्वदेशी खेल शामिल नहीं है। चयन समिति क्रिकेट व स्वदेशी खेलों में पुरस्कार (**अधिकतम 1**) खिलाडियों का चयन उनके खेल प्रदर्शन, अनुशासन, खेल भावना, नेतृत्व गुण व मानवता के गुण को देखते हुए चयन कर सकती है।

12.8 चयन समिति उपरोक्त मापदण्डों में निर्धारित अंको के अनुसार गुरू वशिष्ठ पुरस्कार के लिए प्रशिक्षकों का अंतिम चयन करेगीं।

12.9 वही अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं विचारणीय होगी, जिनमें कम से कम 6 देशों के खिलाडियों ने भाग लिया हो।

12.10 वही राष्ट्रीय खेल विचारणीय होगें जिसमे कम से कम देश के 12 राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश के खिलाडियो /दलो ने भाग लिया हो।

12.11 सिर्फ वही दलीय प्रतिस्पर्द्धा (Team Event) एवं एकल प्रतिस्पर्द्धा (Individual Event) विचारणीय होगे, जिनमें कम से कम 6 खिलाडियों/दलों ने भाग लिया हो।

(राजेन्द्र सिंह) आर.ए.एस.
सचिव
राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद
जयपुर